



जालौन पुलिस



Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त श्याम गुर्जर उर्फ श्याम जी गुर्जर पुत्र पप्पू सिंह उर्फ राघवेन्द्र नि० ग्राम अटराकला थाना चुर्खी जनपद जालौन द्वारा वादी के भाई की हत्या करने के सम्बन्ध में थाना चुर्खी में मु०अ०सं० 57/2020 (वाद संख्या – 34/2020) धारा 302 भादवि व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 29.09.2023 को मा० न्यायालय एडीजे स्पेशल जज एससी/एसटी एक्ट कोर्ट उरई, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त श्याम गुर्जर उपरोक्त को दोषी पाते हुये सश्रम आजीवन कारावास एवं 1,00,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

दिनांक 22.07.2020 को अभियोग पंजीकृत हुआ था माननीय न्याया० द्वारा आरोप के विचारण के बाद (करीब 03 वर्ष 02 माह में) अभियुक्त को दण्डित किया गया।



ADGC क्रिमिनल रणकेन्द्र
भदौरिया



कोर्ट पैरोकार कमल किशोर सिंह

✕ @jalaunpolice

📷 jalaunpolice

f JalaunPolice